प्रेस नोट
दिनांकः 17.11.2026

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका से दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 17-11-2026 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 275/2026 धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त सदानन्द यादव पुत्र बजरंगी यादव निवासी ग्राम गंगरौली पूरे चौहान पुरवा, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा को पकवान गांव केसरी इंटर कॉलेज मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2026 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र की निवासिनी एक महिला द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को परेशान करने एवं गलत मैसेज भेजने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0 275/2026 धारा 78/79 बीएनएस बनाम सदानन्द यादव उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर बाल कल्याण समिति (CWC) गोण्डा द्वारा उसके नाबालिग होने की पुष्टि की गई। पीड़िता के माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत अंकित बयान, वादिनी एवं अन्य गवाहों के बयानों तथा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में पूर्व में लगी धारा 78/79 बीएनएस का विलोपन करते हुए धारा 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सदानन्द यादव को आज दिनांक 17.11.2026 को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सदानन्द यादव पुत्र बजरंगी यादव निवासी ग्राम गंगरौली पूरे चौहान पुरवा, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 275/2026 धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिलेख तिवारी।
2. कां0 राहुल यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 17.11.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा 12 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2026 को उ0नि0 संदीप कुमार मय हमराह पुलिस बल के क्षेत्र में रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग तथा अपराधों की रोकथाम हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान सोनी गुमटी रेलवे ब्रिज के पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अवध नर्सिंग कॉलेज से पहले खाद गोदाम के सामने सड़क किनारे एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठा है, जिसके पास अवैध असलहा हो सकता है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसे रोककर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम **राजेश शुक्ला पुत्र बृज किशोर शुक्ला, निवासी ग्राम अटहरी हेतमापुर, थाना मोहम्मदपुर, जनपद बाराबंकी** बताया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद बैग से एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवावा किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश शुक्ला पुत्र बृज किशोर शुक्ला, निवासी ग्राम अटहरी हेतमापुर, थाना मोहम्मदपुर, जनपद बाराबंकी

बरामदगी-

01- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 1055/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संदीप कुमार, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
2. कां0 कुलदीप यादव।
3. कां0 विनय कुमार।

मीडिया सेल. गोण्डा।